# कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/निस/ 34 भोपाल,दिनांक 14/1/2000

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
समस्त वनमंडलाधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- वन क्षेत्रों में अतिक्रमण की रोक थाम ।

शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि 24-10-80 ( वन संरक्षण अधिनियम के प्रभावशील होने की तिथि ) के पश्चात् वन क्षेत्रो में अतिक्रमण किसी भी दशा में न होने दिया जाय ।

वन क्षेत्रों में अतिक्रमण होने पर कार्यवाही की प्रक्रिया वन अधिनियम में दी गई है । क्षेत्रीय अधिकारियो व्दारा इस प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्यवाही करना चाहिए ।

मा0 उच्चतम न्यायालय ने गोदावर्मन विरुध्द भारत शासन में दिनांक 12-12-9 को स्पष्ट निर्देश दिये है कि वन क्षेत्रों में कोई भी गैर वानिकी कार्य भारत शासन की अनुमति के बिना न होने दिया जाय ।

कृपया शासन के निर्देश तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में सुनिश्चित करें कि वन क्षेत्रों में किसी भी दशा में अतिकमण न हो और जहां अतिकमण हो वन अधिकारी वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0भोपाल

क्रमांक/ 35 भोपाल,दिनांक 14/1/2000

प्रतिलिपि :-

1- मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- समस्त अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया अपने प्रभार के वृत्तों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0भोपाल